न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/222

रामचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 27.10.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 04/2021(gcms no. 2021/139) मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 90, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादी के कब्जे एवं काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित है (संवत 2073–2076) के अनुसार जिसका खाता सं नया 414 पुराना 143 की खसरा नंबर 224 की रकबा 0.81 है०, एवं खसरा नंबर 246 की रकबा 1.22 है0 नहरी प्रथम कुल खसरा 2 रकबा 2.03 है० एवं खाता सं नया 143, पुराना 130 की खसरा नंबर 716 की रकबा 0.33 है० नहरी प्रथम खाता सं नया 142, पुराना 129 की खसरा नंबर 713/982 रकबा 0.20 है0 खसरा नंबर 717 की रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 718 की रकबा 0.28 है० कुल खसरा 3 रकबा 0.72 है० एवं खाता संख्या नया 141, पुराना 128 की खसरा नंबर 250 की रकबा 2.17 है० नहरी प्रथम इस प्रकार कुल किता 7 रकबा 5.25 है० स्थित है जिसमे वादी का 1/4 हिस्सा निहित चला आ रहा है जो राजस्व रिकार्ड मे 1/4 हिस्सा बतौर खातेदार नाथूलाल पुत्र गज्जा के नाम दर्ज चली आ रही है तथा अन्य आराजीयात जिसका खाता संख्या 144 नया पुराना 131

की खसरा नंर 790 की रकबा 0.90 है०, खसरा नंबर 791 की 0.12 है0 नहरी प्रथम कुल खसरा 2 रकबा 1.02 है० जो संपूर्ण वादी के अधिकार की है तथा वर्तमान में उपरोक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार नाथूलाल पुत्र मज्जा के दर्ज चली आ रही है। वादपत्र में सजरा परिवार अंकित किया। जिसके अनुसार गज्जा उर्फ गजानन्द का पुत्र नाथूलाल (मृतक) है तथा नाथूलाल का पुत्र रामचन्द्र (वसीयती) है। उपरोक्त कृषि आराजी के पूर्व खातेदार गज्जा उर्फ गजानन्द पुत्र नैनगा थे तथा गज्जा पुत्र नैनगा के एक मात्र संतान नाथूलाल थी जो मानसिक रूप से विकृत था और उसमे सोचने समझने की शक्ति नही थी गज्जा की सार संभाल, सेवा सुश्रुषा वादी द्वारा उसके जीवनकाल मे की गयी थी इसलिए गज्जा उर्फ गजानन्द पुत्र नैनगा निवासी भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ने वादी के पक्ष में अपनी संपूर्ण चल एवं अचल संपत्तियां उपर वर्णित कृषि आराजीयात सहित मे निहित अपने हिस्से तथा स्वंय के संपूर्ण हिस्से बाबत वसीयत दिनांक 24–12–1976 को रूबरू गवाहान केसमक्ष करते हुए पब्लिक नोटरी से प्रमाणित करवायी थी तथा गज्जू उर्फ गजानन्द की मृत्यु लगभग 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा गज्जा की मृत्यु उपरान्त वादी उनके द्वारा की गयी वसीयत अनुसार उसकी संपूर्ण चल अचल संपत्ति तथा उपर वर्णित कृषि आराजीयात का खातेदार वादी बन चुका है लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 के कर्मचारियो ने गैर कानूनी रूप से उपरोक्त सारी संपत्तियो का इंतकाल गज्जा की संतान मंदबुद्धि (विकृत चित्त) नाथूलाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जबकि उपरोक्त संपत्ति को वसीयत विलेख दिनांक 24–12–1976 के आधार पर प्रतिवादी नं 1 को वादी के पक्ष में दर्ज करना चाहिए था लेकिन प्रतिवादी द्वारा जानबूझ कर ऐसा नहीं किया गया। चूंकि गज्जा उर्फ गजानन्द जो इस संपत्ति के पूर्व खातेदार थे उनके द्वारा विधिवत रूप से अपने जीवनकाल मे दिनांक 24–12–1976 को उपरोक्त कृषि आराजी सहित संपूर्ण चल व अचल संपत्ति की वसीयत वादी के पक्ष में कर दी थी तो ऐसे मे वादी के उपरोक्त वसीयत के मुताबिक उपरोक्त संपत्ति मे खातेदार अधिकार उत्पन्न हो चुके थे लेकिन प्रतिवादी नं 1 द्वारा एक विकृत चित्त व्यक्ति नाथूलाल के पक्ष मे विरासत का इंतकाल नाथूलाल के नाम दर्ज अमल कर दिया गया नाथूलाल की भी मृत्यु दिनांक 20–1–2010 को हो चुकी है और आज भी उपरोक्त संपत्ति मृतक नाथूलाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है तथा गज्जा उर्फ गजानन्द के वर्तमान मे तथा नाथूलाल के वारिसान मौजूद नही है। उपरोक्त कृषि आराजीयात का खातेदार वादी वसीयतनामा दिनांक 24–12–1976 के आधार पर बन चुका है वसीयतनामे को आज दिनांक तक किसी व्यक्ति द्वारा चुनौती नही दी गयी ना ही न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है वसीयतनामा 46 वर्ष पुराना है इसलिए आज भी प्रभावी है उपरोक्त वसीयतनामे के आधार पर उपर वर्णित कृषि आराजी का खातेदार वादी बन चुका है लेकिन प्रतिवादी द्वारा जानबूझ कर उपरोक्त संपत्तियो का खातेदार वादी को दर्ज नही किया जा रहा है इस संबन्ध मे वादी द्वारा धारा 80 सीपीसी के तहत विधिक नोटिस दिनांक 27–6–2011 को दिया गया लेकिन उसकी पालना में आज दिनांक तक वादी के पक्ष मे वसीयत के आधार पर वसीयत अनुसार कृषि आराजीयात मे वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही किया गया जबकि वसीयत मे मिली संपत्ति पर वादी आज भी काबिज काश्त चला

आ रहा है। वादी को वसीयतनामा दिनांक 24–12–1976 के तहत उपर वर्णित कृषि आराजीयात मे निहित 1/4 हिस्से का खातेदार होने का अधिकार प्राप्त है लेकिन प्रतिवादी द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद भी ऐसा नही किया गया इसलिए वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उपर वर्णित संपत्तियो का खातेदार घोषित करवा सके इसलिए वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वसीयतनामा दिनांक 24–12–1976 के आधार पर कृषि आराजी जो ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिसका खाता सं नया 414 पुराना 143 की खासरा नंबर 224 की रकबा 0.81 है०, एवं खसरा नंबर 246 की रकबा 1.22 है। नहरी प्रथम कुल खसरा 2 रकबा 2.03 है० एवं खाता सं नया 143, पुराना 130 की खसरा नंबर 716 की रकबा 0.33 है० नहरी प्रथम खाता सं नया 142, पुराना 129 की खसरा नंबर 713/982 रकबा 0.20 है० खासरा नंबर 717 की रकबा 0.24 है०, खसरा नंबर 718 की रकबा 0.28 है० कुल खसरे 3 रकबा 0.72 है० एवं खाता संख्या नया 141, पुराना 128 की खासरा नंबर 250 की रकबा 2.17 है० नहरी प्रथम इस प्रकार कुल किता 7 रकबा 5.25 है० स्थित है जिसमे वादी का 1/4 हिस्से का तथा खसरा नंबर 790 की रकबा 0.90 है०, खसरा नंबर 791 की 0.12 है० नहरी प्रथम कुल खसरा 2 रकबा 1.02 है० जो संपूर्ण वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दर्ज अमल करने का आदेश दिया जावे तथा उपरोक्त कृषि आराजीयात की राजस्व रिकार्ड मे से नाथूलाल पुत्र गज्जा का नाम विलोपित करने के आदेश दिए जावे। चूंकि उपरोक्त संपत्ति पर वादी का कब्जा चला आ रहा है तथा उपरोक्त संपत्ति को प्रतिवादी द्वारा अन्य व्यक्तियो से मिलीभगत कर नाम दर्ज करने तथा वादी को बेदखल करने की धमकी दी जा रही है यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने मे कामयाब हो गया तो वादी न्याय प्राप्ति से वंचित हो जावेगा इसलिए वादी के पक्ष मे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि उपरोक्त संपत्ति से वादी को प्रतिवादी बेदखल ना करे तथा अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज अमल ना करें। उपरोक्त वाद को पेश करने का वाद कारण प्रतिवादी द्वारा गैर कानूनी रूप से वसीयतनामे से विपरीत जाकर नाथूलाल के नाम सन् 2010 में दर्ज करने तथा नोटिस दिनांक 27–6–2011 की पालना नही करने तथा वर्तमान मेउपरोक्त संपत्ति से वादी को बेदखल करने के कारण उत्पन्न हुआ है। उपरोक्त संपत्ति ग्राम भीमपुरा पटवार हल्का धाकडखेडी भू अभिलेख निरीक्षक रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित है इसलिए उपरोक्त वाद को सुनने का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :– 1. कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित की जावे कि वादी का वसीयतनामा दिनांक 24–12–1976 के आधार पर कृषि आराजी जो ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित है जिसका खाता सं नया 414 पुराना 143 की खसरा नंबर 224 की रकबा 0.81 है०, एवं खसरा नंबर 246 की रकबा 1.22 है0 नहरी प्रथम कुल खसरा 2 रकबा 2.03 है० एवं खाता सं नया 143, पुराना 130 की खसरा नंबर 716 की रकबा 0.33 है० नहरी प्रथम खाता सं नया 142, पुराना 129 की खसरा नंबर 713/982 रकबा 0.20

है० खसरा नंबर 717 की रकबा 0.24 है०, खसरा नंबर 718 की रकबा 0.28 है० कुल खसरे 3 रकबा 0.72 है० एवं खाता संख्या नया 141, पुराना 128 की खसरा नंबर 250 की रकबा 2.17 है0 नहरी प्रथम इस प्रकार कुल किता 7 रकबा 5.25 है० स्थित है जिसमे वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार तथा खसरा नंबर 790 की रकबा 0.90 है०, खसरा नंबर 791 की 0.12 है0 नहरी प्रथम कुल खसरा 2 रकबा 1.02 है० का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम दर्ज अमल करने का आदेश दिया जावे तथा उपरोक्त कृषि आराजीयात की राजस्व रिकार्ड मे से नाथूलाल पुत्र गज्जा का नाम विलोपित करने के आदेश दिए जावे। वादी के पक्ष में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि उपरोक्त संपत्ति से वादी को प्रतिवादी बेदखल ना करें तथा अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज अमल ना करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2021 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2021 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2021 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो कानूनी प्रक्रियाओं को नही समझता है। अधीनस्थ न्यायालय के यहां नियुक्त अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कह रखा था कि जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी तुम्हे बुलवा लेंगे तुम्हे हर पेशी पर आने की जरूरत नही है जिसके कारण अपीलान्ट अधिवक्ता महोदय के आश्वासन पर आश्वस्त रहा किन्तु अभी हाल ही में अपीलान्ट दिनांक–02.06.2025 को अधिवक्ता महोदय से मिला तो उनके द्वारा उक्त प्रकरण मे तो दिनांक–06.10. 2021 को

ही निर्णय हो जाने की जानकारी दी जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा तुरन्त प्रभाव से सम्यक तत्परता बरतते हुये अगले ही दिन दिनांक–03.06.2025 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त कर व रूपये पैसो का इंतजाम कर सम्माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील पेश की जा रही है जो सर्वप्रथम जानकारी व नकल मिलने की दिनांक से अवधि मध्य पेश है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री जेर अपील तनकीयात का सकारण विवेचन किये बिना मनमर्जी पूर्वक पारित किया है जबकि कानूनन आदेश 20 नियम 05 सीपीसी एवं रेवेन्यू कोर्ट मेनुअल के अनुसार निर्णय पारित किये जाने हेतु तनकीवार सकारण विवेचन किया जाना आज्ञापक है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री जेर अपील आदेश 20 नियम 05 सीपीसी व रेवेन्यू कोर्ट मेनुअल के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत होने एवं नॉन स्पीकिंग निर्णय व डिक्री होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खातेदार गज्जा उर्फ गजानन्द द्वारा वादी अपीलान्ट के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक–24.12.1976 व रूबरू दो गवाह रामनिवास व नन्दलाल के समक्ष निष्पादित की थी। वसीयत के एक गवाह नन्दलाल की मृत्यु हो चुकी है और दुसरा गवाह रामनिवास जीवित है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने दायित्वो का निर्वहन करते हुये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–68 के अनुसार उक्त वसीयत के कम से कम एक अनुप्रमाणिक गवाह रामनिवास पुत्र जगन्नाथ की साक्ष्य प्रस्तुत कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के अनुप्रमाणिक गवाह रामनिवास पुत्र जगन्नाथ द्वारा उसके व दूसरे गवाह नन्दलाल के समक्ष गज्जा उर्फ गजानन्द द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के पक्ष मे दिनांक–24.12.1976 को उक्त वसीयत निष्पादित करना। गज्जा के पुत्र नाथूलाल के विकृत चित्त होना गज्जा उर्फ गजानन्द की सेवा सुश्रुषा अपीलान्ट द्वारा किया जाना और उसकी मृत्यु पश्चात उक्त सम्पत्ति अपीलान्ट को प्राप्त होना भलीभांति साबित कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के उक्त गवाह रामनिवास की साक्ष्य अखण्डनीय रही थी जिसके कारण तनकी संख्या–1 वादी के पक्ष में तय किये जाने योग्य थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिक रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–68 के अनुसार वसीयत को साबित कर दिये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से उक्त तनकी संख्या–1 को बिना किसी विवेचन के वादी के विरूद्ध तय कर वादी के वाद को निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित कर निरस्त करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–39 के अनुसार कोई भी खातेदार आसामी अपने भूमि क्षैत्र में स्थित अंपने हित व हितांश को अंतिम ईच्छा पत्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति को वसीयत मे दे सकता है। इसके अलावा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी (कोटा)

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–63, हिन्दू उत्तराधिकारी अधि० की धारा–30 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकार रखता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा यह भलीभांति स्पष्ट कर दिया गया था कि उक्त भूमि के खातेदारी गज्जा उर्फ गजानन्द द्वारा अपनी भूमि की वसीयत वादी अपीलान्ट के पक्ष में रूबरू गवाहान निष्पादित कर दी थी और वसीयत के मुताबिक उक्त भूमि वादी अपीलान्ट को प्राप्त हुई जिस पर अपीलान्ट निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है और उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे गज्जा उर्फ गजानन्द जी के विकृत चित्त पुत्र नाथूलाल जो भी लाऔलाद फौत हो चुका है का नाम पूर्णतया गलत व गैरकानूनी रूप से चला आ रहा है। जिसके कारण वादी गज्जा उर्फ गजानन्द जी की उक्त भूमि का खातेदार घोषित होने का विधिक अधिकारी है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना मनमर्जी रूप से वादी के वाद को खारिज कर निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य व स्वतंत्र गवाह पी०डब्ल्यू० 1 जगदीश पी०डब्ल्यू०–2 राधाकिशन तथा पी०डब्ल्यू–३ रामनिवास व स्वंय पी०डल्ब्यू 4 के रूप में साक्ष्य लेखबद्ध करवायी थी जिसके संबंध में प्रतिपक्षी द्वारा वादी के गवाहान से कोई भी प्रतिपरीक्षा भी नहीं की गई थी और उक्त साक्ष्य अखण्डनीय थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व स्वतंत्र गवाहान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भलीभांति साबित कर दिया था कि उक्त वादविषयक भूमि मुताबिक वसीयत वादी को प्राप्त हुई है और वादी का ही उक्त भूमि पर निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके कारण वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे गलत रूप से दर्ज नाथूलाल के नाम को विलोपित करवाकर स्वंय के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी हैं किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र गवाहान द्वारा उक्त भूमि पर अपीलान्ट के कब्जे को भलीभांति साबित कर दिया था जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय पर तनकी संख्या–2 को वादी के पक्ष में तय कर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से उक्त तनकी संख्या–2 को वादी अपीलान्ट के विरूद्ध तय कर वादी के वाद को खारिज करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अखण्डनीय साक्ष्य की उपस्थिति मे वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है। गज्जा उर्फ गजानन्द व नाथूलाल लाऔलाद फौत हो चुके है। मुताबिक वसीयत वादी उक्त भूमि पर निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे नाथूलाल का नाम पूर्णतया गलत व गैकानूनी रूप से दर्ज चला आ रहा है जिसके कारण वादी के वाद को स्वीकार कर वादी अपीलान्ट को उक्त भूमि का खातेदार घोषित कर इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान करना न्यायोचित व आवश्यक है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक–06.10.2021 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही अपीलान्ट वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर ग्राम भीमपुरा पटवार हल्का धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की

वाद विषयक भूमि खाता संख्या नया 414 पुराना 143 के खसरा नम्बर–224 की रकबा 0.81 हे०, खसरा नम्बर–246 की रकबा 1.22 हे0, कुल 2 किता की 2.03 हे० खाता संख्या नया 143 पुराना 130 खसरा नम्बर–716 की रकबा 0.33 हे०, खाता संख्या नया 142 पुराना 129 के खसरा नम्बर–713/942 रकबा 0.20 हे० खसरा नम्बर–717 की रकबा 0.24 हे०, खसरा नम्बर–718 रकबा 0.28 हे0 कुल 3 किता की 0.72 हे० खाता सख्या नया 141 पुराना 128 खसरा नम्बर–250 की रकबा 2.17 हे0, कुल 7 किता की 2.25 हे0 मे वादी को 1/4 हिस्से का तथा खाता संख्या नया 144 पुराना 131 के खसरा नम्बर–790 की रकबा 0.90 हे० खसरा नम्बर–791 की रकबा 0.12 हे० सम्पूर्ण हिस्से का वादी को खातेदारी घोषित किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे गलत रूप से दर्ज नाथूलाल पुत्र गज्जा का नाम विलोपित किये जाने एवं उसके स्थाान पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रसारित किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खाता संख्या नया 414 पुराना 143 के खसरा नम्बर–224 की रकबा 0.81 हे०, खसरा नम्बर–246 की रकबा 1.22 हे0, कुल 2 किता की 2.03 हे० खाता संख्या नया 143 पुराना 130 खसरा नम्बर–716 की रकबा 0.33 हे०, खाता संख्या नया 142 पुराना 129 के खसरा नम्बर–713/942 रकबा 0.20 हे० खसरा नम्बर–717 की रकबा 0.24 हे०, खसरा नम्बर–718 रकबा 0.28 हे0 कुल 3 किता की 0.72 हे० खाता सख्या नया 141 पुराना 128 खसरा नम्बर–250 की रकबा 2.17 हे0, कुल 7 किता की 2.25 हे0 मे वादी को 1/4 हिस्से का तथा खाता संख्या नया 144 पुराना 131 के खसरा नम्बर–790 की रकबा 0.90 हे० खसरा नम्बर–791

की रकबा 0.12 हे० सम्पूर्ण हिस्से का वादी अपीलांट को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे गलत रूप से दर्ज नाथूलाल पुत्र गज्जा का नाम विलोपित किये जाने एवं उसके स्थान पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 143 की खसरा संख्या 716 किता 1 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खाता संख्या 142 की खसरा संख्या 713/982, 717, 718 कुल किता 3 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर, खाता संख्या 141 की खसरा संख्या 250 किता 1 रकबा 2.17 हैक्टेयर, खाता संख्या 414 की खसरा संख्या 224, 246 कुल किता 2 रकबा 2.03 हैक्टेयर भूमि नाथूलाल पुत्र गज्जा एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा खाता संख्या 144 की खसरा संख्या 790, 791 की किता 2 रकबा 1.02 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि नाथूलाल पुत्र गज्जा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांट वादी का कथन है कि खातेदार गजानन्द द्वारा उसके खाते व हिस्से की प्रश्नगत भूमि की वसीयत वादी अपीलांट के पक्ष में दिनांक 24.12.1976 को निष्पादित की जा चुकी तथा वसीयतकर्ता गजानन्द की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा वसीयत की गई प्रश्नगत भूमि का वादी अपीलांट खातेदार बन चुका है तथा वसीयत की गई आराजीं को स्वयं के खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी अपीलांट द्वारा प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 24.12.1976 के आधार पर वादग्रस्त आराजी को स्वयं के खाते दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 24.12.1976 एक अपंजीकृत दस्तावेज है। उक्त वसीयतनामें में वसीयत की गई आराजी का कोई खसरा नम्बरान का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित किया जाना संभव नहीं है कि वसीयतकर्ता गजानन्द द्वारा किस भूमि की वसीयत की गई है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में गजानन्द के खाते की भूमि उसके पुत्र नाथूलाल के खाते दर्ज हो चुकी है। अपीलांट का कथन है कि नाथूलाल की मृत्यु हो चुकी है तथा अपने कथन के समर्थन में वादी अपीलांट द्वारा नाथूलाल के मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति पेश की गई है जिसमें नाथूलाल की मृत्यु की दिनांक 20.01.2010 अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के अनुसार वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में गजानन्द की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तकरण संख्या 354 दिनांक 08.10.2001 से गजानन्द के स्थान पर उसके पुत्र नाथूलाल का नाम दर्ज होने का अंकन है। अतः वादग्रस्त आराजी खातेदार गजानन्द की मृत्यु के पश्चात दिनांक 08.10.2001 को ही उसके पुत्र नाथूलाल के खाते दर्ज हो चुकी थी, जबकि वादी अपीलांट द्वारा प्रश्नगत वाद दिनांक 27.05.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी अपीलांट द्वारा प्रश्नगत वाद प्रस्तुत करने के लगभग 20 वर्ष पूर्व ही गजानन्द की मृत्यु हो चुकी थी तथा वादी अपीलांट द्वारा प्रश्नगत वाद गजानन्द की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तकरण संख्या 354 दिनांक 08.10.2001 के लगभग 20 वर्ष पश्चात पेश किया गया है। साथ ही वादग्रस्त आराजी गजानन्द के पुत्र नाथूलाल एवं अन्य सहखातेदार की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। हमारे मत में किसी भी प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सभी सहखातेदार एवं प्रभावित व्यक्ति आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आते है, जिन्हें प्रकरण में

पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना कानूनन आवश्यक है, परन्तु वादी अपीलांट द्वारा गजानन्द के पुत्र नाथूलाल के विधिक वारिसान एवं वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदारान को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में पक्षकार कायम नहीं किया गया है। हमारे मत में वादी अपीलांट द्वारा स्वच्छ हस्तों(clean hand) से वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के अभाव में तथा वादी अपीलांट द्वारा स्वच्छ हस्तों(clean hand) से नहीं आने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2021 में वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 04/2021 (gcms no. 2021/139) मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2021 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/10/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा